उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या- 4/2022/19/सामान्य/का-4- 2022/303/2020
लखनऊ:: दिनांक:: 12 फरवरी, 2022

कार्यालय- ज्ञाप

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के संबंध में कार्य की व्यवस्था।

कोविड मामलों में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में कमी और सुधार में सकारात्मकता दर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह- 'ख', समूह- 'ग' एवं समूह 'घ' के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति तथा साप्ताहिक रोस्टर संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2022/03/सामान्य/का-4-2022, दिनांक 13 जनवरी, 2022 एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य सम्पादित करने संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2022/16/संघ/का-4-2022/303/2020, दिनांक 25 जनवरी, 2022 को अवक्रमित करते हुये निम्नवत व्यवस्था की जाती है:-

(1) प्रदेश सरकार के सभी कार्यालय दिनांक 14.02.2022 से 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे, किन्तु संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत यह अपेक्षित है कि कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो, समस्त कार्यालय स्टाफ प्रश्नगत कार्यालयों में सेनिटाईजेशन, फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टैंसिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखेंगे।

(2) अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

(3) संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालय को बंद किये जाने अथवा उनमें उपस्थिति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से निर्णय लिया जायेगा ।

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या-4/2022/19/(1)/सामान्य/का-4-2022/303/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस प्रकार हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है